



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22072021-228421
CG-DL-E-22072021-228421

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 294]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 22, 2021/आषाढ 31, 1943

No. 294]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 22, 2021/ASHADHA 31, 1943

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2021

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (दूसरा संशोधन)

विनियम, 2021

सं. आई.बी.बी.आई./2021-22/जी.एन./आर.ई.जी.077 - भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196, धारा 207 और धारा 208 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 5 के खंड (ग) में—
 - उपखंड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(iii) विधि द्वारा स्थापित या मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा किसी अनुमोदित संस्थान से-

(क) विधि में बैचलर डिग्री प्राप्त करने के पश्चात् विधि के क्षेत्र में दस वर्ष का अनुभव,

(ख) प्रबंधन में मास्टर डिग्री या प्रबंधन में दो-वर्षीय पूर्णकालिक स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त करने के पश्चात् प्रबंधन में दस वर्ष का अनुभव, या

(ग) बैचलर डिग्री प्राप्त करने के पश्चात्, प्रबंधन में पन्द्रह वर्ष का अनुभव; या”

(ii) उपखंड (iv) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“स्पष्टीकरण 1 – इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, केवल वृत्तिक और प्रबंधकीय अनुभव पर विचार किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 2 – (क) उपखंड (iii) के अधीन दस या पन्द्रह वर्ष के कुल अनुभव की गणना करने के प्रयोजनार्थ, उपखंड (iv) के अधीन किसी अवधि के अनुभव को शामिल किया जाएगा;

(ख) उपखंड (iv) के अधीन दस वर्ष के कुल अनुभव की गणना करने के प्रयोजनार्थ उस उपखंड की किसी भी मद के अधीन किसी अवधि के अनुभव को शामिल किया जाएगा।

दृष्टांत 1

जहां किसी व्यक्ति के पास उपखंड (iii) के अधीन नौ वर्ष का अनुभव और उपखंड (iv) के अधीन छह वर्ष का अनुभव है वहां उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसके पास उपखंड (iii) के प्रयोजनों के लिए पन्द्रह वर्ष का अनुभव है।

दृष्टांत 2

जहां किसी व्यक्ति के पास उपखंड (iv) की मद (क) के अधीन छह वर्ष का अनुभव और उपखंड (iv) की मद (घ) के अधीन चार वर्ष का अनुभव है वहां उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसके पास उपखंड (iv) के प्रयोजनों के लिए दस वर्ष का कुल अनुभव है।

(3) मूल विनियमों में, विनियम 9 का लोप किया जाएगा।

(4) मूल विनियमों के विनियम 12 में,-

(i) उप-विनियम (1) में,-

(क) खंड (ग) में, “उसके अधिकांश शेयर” शब्दों के स्थान पर “उसके अधिकांश इक्विटी शेयर” शब्द रखे जाएंगे।

(ख) परन्तु के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“परन्तु भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 के प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व मान्यताप्राप्त दिवाला व्यावसायिक संस्थाएं, 31 दिसम्बर, 2021 को या इससे पूर्व खंड (ख) और खंड (ग) के उपबंधों का अनुपालन करेंगी।

स्पष्टीकरण – इस उप-विनियम के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए ‘शुद्ध मूल्य’ से अभिप्रेत है –

(i) किसी कंपनी की दशा में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(57) के अधीन यथा-परिभाषित शुद्ध मूल्य;

(ii) किसी रजिस्ट्रीकृत भागीदारी फर्म या सीमित दायित्व भागीदारी की दशा में, पूंजीगत खाते में भागीदारों के अंशदान और संचित हानि, यदि कोई है, को घटाकर उनके अवितरित लाभों का योग।”;

(ii) उप-विनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(3) बोर्ड, इस विनियम के अधीन किए गए आवेदन को उसकी प्राप्ति के सात दिन के भीतर अभिस्वीकार करेगा।

(4) बोर्ड, आवेदन की परीक्षा करने के पश्चात्,-

(i) आवेदक से युक्तिसंगत समय के भीतर ऐसे अतिरिक्त दस्तावेज़, जानकारी या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा;

(ii) आवेदक का निरीक्षण या जांच कर सकेगा;

(iii) आवेदक के किसी निदेशक या भागीदार से किन्हीं स्पष्टीकरणों के लिए युक्तिसंगत समय के भीतर उसके समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की अपेक्षा कर सकेगा,

जैसा आवेदन पर विचार करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो।”

5. मूल विनियमों के विनियम 13 में,-

(i) उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(1) (क) जहां विनियम 12 के उप-विनियम (4) के अधीन आवेदन पर विचार करने के पश्चात् बोर्ड,-

(i) का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक इन विनियमों के अधीन पात्र है वहां वह आवेदन प्राप्त होने के साठ दिन के भीतर, आवेदक द्वारा विनियम 12 के उप-विनियम (4) के अधीन, यथास्थिति, अतिरिक्त दस्तावेज़, जानकारी या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में लिए गए समय को छोड़कर, दिवाला व्यावसायिक संस्था के रूप में मान्यता प्रमाणपत्र प्रदान कर सकेगा;

(ii) की प्रथमदृष्टया राय यह है कि मान्यता प्रदान नहीं की जानी चाहिए वहां वह ऐसी राय उसके कारणों सहित संसूचित करेगा और अंतिम राय बनाने में स्वयं को समर्थ बनाने के लिए आवेदक को, बोर्ड से संसूचना प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर देगा।

(ख) बोर्ड, आवेदक द्वारा खंड (क) के अधीन प्रस्तुत किया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई है, प्राप्त करने के तीस दिन के भीतर -

(i) दिवाला व्यावसायिक संस्था के रूप में मान्यता प्रमाणपत्र प्रदान करेगा; या

(ii) आवेदन को, आदेश द्वारा, उसके लिए कारण अभिलिखित करते हुए, नामंजूर करेगा।

(ग) बोर्ड, खंड (क) या खंड (ख) के अधीन दिवाला व्यावसायिक संस्था के रूप में मान्यता प्रमाणपत्र, दूसरी अनुसूची के प्ररूप घ में प्रदान करेगा।”;

(ii) उप-विनियम (2) के खंड (ख) और खंड (ग) में, “सात” शब्द के स्थान पर क्रमशः “तीस” शब्द रखा जाएगा।

6. मूल विनियमों की पहली अनुसूची में, खंड 22 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“स्पष्टीकरण: किसी दिवाला व्यावसायिक के पास, कारपोरेट समाधान प्रक्रिया में समाधान व्यावसायिक के रूप में किसी भी समय दस नियतकार्यों (असाइनमेंट) से अधिक नहीं हो सकेंगे, जिनमें से तीन से अनधिक नियतकार्यों में, प्रत्येक में एक हजार करोड़ रुपए से अधिक के स्वीकृत दावे होंगे।

डॉ. एम. एस. साहू, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./158/2021-22]

टिप्पण : भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 424, तारीख 23 नवम्बर, 2016 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.003, तारीख 23 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 185, तारीख 27 अप्रैल, 2021 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2021-22/जी.एन./आर.ई.जी.073, तारीख 27 अप्रैल, 2021 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (संशोधन) विनियम, 2021 द्वारा किए गए।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd July, 2021

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Second Amendment) Regulations, 2021

No. IBBI/2021-22/GN/REG077.- In exercise of the powers conferred by sections [196](#), [207](#) and 208 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, [2016 \(31\)](#) of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016, namely: -

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Second Amendment) Regulations, 2021.

(2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016 (hereinafter referred to as ‘the principal regulations’), in regulation 5, in clause (c),-

(i) for sub-clause (iii), the following sub-clause shall be substituted, namely: -

“(iii) experience of -

- (a) ten years in the field of law, after receiving a Bachelor’s degree in law;
- (b) ten years in management, after receiving a Master’s degree in Management or two-year full time Post Graduate Diploma in Management; or
- (c) fifteen years in management, after receiving a Bachelor’s degree,

from a university established or recognised by law or an Institute approved by All India Council of Technical Education; or”

(ii) after sub-clause (iv), the following shall be inserted, namely: -

“Explanation 1.- For the purposes of this regulation, only professional and managerial experience shall be considered.

Explanation 2.- For the purpose of computing,-

- (a) the total experience of 10 or 15 years under sub-clause (iii), there shall be included experience of any period under sub-clause (iv);
- (b) the total experience of 10 years under sub-clause (iv), there shall be included experience of any period under any of the items of that sub-clause.

Illustration 1

Where an individual has experience of nine years under sub-clause (iii) and experience of six years under sub-clause (iv), he shall be considered having experience of fifteen years for the purposes of sub-clause (iii).

Illustration 2

Where an individual has experience of 6 years under item (a) of sub-clause (iv) and experience of four years under item (d) of sub-clause (iv), he shall be considered as having total experience of 10 years for the purposes of sub-clause (iv).

3. In the principal regulations, regulation 9 shall be omitted.

4. In the principal regulations, in regulation 12,-

(i) in sub-regulation (1),-

(a) in clause (c), for the words ‘its shares’, the words ‘its equity shares’ shall be substituted.

(b) for the proviso, the following shall be substituted, namely:-

“Provided that the insolvency professional entities recognised before the date of commencement of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Second Amendment) Regulations, 2021 shall comply with the provisions of clauses (b) and (c) on or before 31st December 2021.

Explanation.- For the purposes of clause (b) of this sub-regulation, ‘net worth’ means-

(i) the net worth as defined under section 2(57) of the Companies Act, 2013 in case of a company;

(ii) sum of partners’ contribution in the capital account and their undistributed profits net of accumulated losses, if any, in case of a registered partnership firm or limited liability partnership.”;

(ii) after sub-regulation (2), the following sub-regulations shall be inserted, namely: —

“(3) The Board shall acknowledge an application made under this regulation within seven days of its receipt.

(4) The Board may, after examination of the application,-

(i) require the applicant to submit, within reasonable time, additional documents, information or clarification;

(ii) inspect or inquire the applicant;

(iii) require any of the directors or partners of the applicant to appear, within a reasonable time, before it in person for any clarifications,

as may be necessary for the purpose of considering the application.”

5. In the principal regulations, in regulation 13, -

(i) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

“(1) (a) Where the Board, after consideration of the application under sub-regulation (4) of regulation 12,-

(i) is satisfied that the applicant is eligible under these Regulations, it may grant a certificate of recognition as an insolvency professional entity within sixty days of receipt of the application, excluding the time taken by the applicant for submitting additional documents, information or clarification, or appearing in person, as the case may be, under sub-regulation (4) of regulation 12;

(ii) is of the *prima facie* opinion that the recognition ought not be granted, it shall communicate such opinion along with reasons thereof and provide the applicant an opportunity to submit its explanation within fifteen days of the receipt of the communication from the Board, to enable it to form a final opinion.

(b) The Board shall, within thirty days of receipt of the explanation, if any, submitted by the applicant under clause (a), -

(i) grant a certificate of recognition as an insolvency professional entity; or

(ii) reject the application by an order, after recording reasons thereof.

(c) The Board shall grant a certificate of recognition as an insolvency professional entity under clause (a) or (b) in Form D of the Second Schedule.”;

(ii) in sub-regulation (2), in clauses (b) and (c), for the word ‘seven’, the word ‘thirty’ shall respectively be substituted.

6. In the principal regulations, in the First Schedule, after clause 22, the following clarification shall be inserted, namely: -

“Clarification: An insolvency professional may, at any point of time, not have more than ten assignments as resolution professional in corporate insolvency resolution process, of which not more than three shall have admitted claims exceeding one thousand crore rupees each.

Dr. M. S. SAHOO, Chairperson
[ADVT.-III/4/Exty./158/2021-22]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016 were published *vide* notification No. IBBI/2016-17/GN/REG003 dated 23rd November, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 424 on 23rd November, 2016 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Amendment) Regulations, 2021 published *vide* notification No. IBBI/2021-22/GN/REG073 dated 27th April 2021 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 185 on 27th April 2021.